

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।


क्रमांक:— निदे/प.7(II) /जांच/18/ ~~२५~~-9

दिनांक: 10-5-2018

—: कार्यालय आदेश :-

श्री अजीत सिंह शेखावत, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता, अलवर को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अंतर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में श्री शेखावत का मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर में रहेगा तथा इनको निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


(डी.एस.मारु)
निदेशक (केम्प-जयपुर)

क्रमांक:— निदे/प.7(II) /जांच/18/ ~~२५~~-10-17


दिनांक: 10-5-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर।
3. खनि अभियन्ता, अलवर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव (निदेशक)/निजी सहायक (अ.नि.प्र)/नियुक्ति अनुभाग, के.का. उदयपुर।

रजि.एडी.5. श्री अजीत सिंह शेखावत, वरिष्ठ सहायक, द्वारा:—खनि अभियंता, अलवर।

6. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक
(केम्प-जयपुर)